कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री उत्तर प्रदेश सिंगल सुपर फास्फेट मैन्यू0 एसो0, फ्लैट नम्बर-डब्लू डब्लू-1, रोहतास गोल्फ अपार्टमेन्ट, 98 पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**44 / 09**
प्रार्थी की ओर से	**श्री देवेन्द्र शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. यह प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-44 / 09, दिनांक 20.04.09 सर्वश्री उत्तर प्रदेश सिंगल सुपर फास्फेट मैन्यू0 एसो0, फ्लैट नम्बर-डब्लू डब्लू-1, रोहतास गोल्फ अपार्टमेन्ट, 98 पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ ने प्रस्तुत किया है जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर चाहा गया है :-

अ. क्या सिंगल सुपर फास्फेट में जो जिप्सम होती है वह उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत करमुक्त है ?

ब. यदि सिंगल सुपर फास्फेट में उपस्थित जिप्सम करयोग्य है तो वह किस मूल्य पर करयोग्य है ?

2. फर्म की ओर से श्री देवेन्द्र शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए तथा उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फेट एवं जिप्सम होते हैं जिप्सम को विज्ञप्ति संख्या-KA.NI.-2-356 / XI-9 (1) / 08-U.P. Act.-5-2008-Order-(41)-2009, दिनांक 11.02.2009 से कर मुक्त कर दिया गया है और सिंगल सुपर फास्फेट के फास्फेटिक संघटक को भी उक्त विज्ञप्ति से कर मुक्त कर दिया गया है। इसलिए सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर के रूप में पाये जाने वाले जिप्सम को भी कर मुक्त माना जाना चाहिए।

3. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम के पत्रांक-618, दिनांक 30.05.09, एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, लखनऊ-सम्भाग-बी के पत्र संख्या-445, दिनांक 27.05.09 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है। आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1, की प्रविष्टि संख्या-26 पर जिन वस्तुओं का उल्लेख है उनमें दिनांक 11.02.09 से पूर्व जिप्सम का उल्लेख नहीं था और दिनांक 11.02.09 से किये गये संशोधन के बाद उक्त विज्ञप्ति के अन्तर्गत जिप्सम, आरगैनिक मैन्योर, बायोफर्टीलाइजर्स जिंक सल्फेट फर्टीलाइजर्स एवं माइक्रो न्यूट्रिएन्ट मिक्सचर्स को कर मुक्त किया गया है और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1, की प्रविष्टि संख्या-26 में उल्लिखित विभिन्न रासायनिक खादों के पोटाश एवं फास्फेटिक संघटक को कर मुक्त किया गया है। आख्या में कहा गया है कि चूँकि प्रार्थी द्वारा जिप्सम को यथावत् नहीं बेचा जाता है इसलिए सिंगल सुपर फास्फेट में पाये जाने वाला जिप्सम संघटक कर मुक्त नहीं है। क्योंकि उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत सिंगल सुपर फास्फेट के केवल फास्फेटिक संघटक को कर मुक्त किया गया।

4. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि विज्ञप्ति संख्या-KA.NI.-2-356 / XI-9 (1) / 08-U.P. Act.-5-2008-Order- (41)-2009, दिनांक 11.02.2009 से यथा संशोधित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1, की प्रविष्टि संख्या-26 निम्न

......2

प्रकार है :-

26	**Gypsum** (*vide Noti.no.-KA.NI-2-356/XI-9(1)/08....dated11-02-09 effective from11-02-09*) Organic manure and bio-fertilizers; Zinc sulphate fertilizer and micro-nutrient mixtures; potash and phosphatic components of the following chemical fertilizers (*vide Noti.no.-KA.NI-2-3024/XI-9(1)/08....dated24-10-08 effective from 1-6-08*)		
	Sl.No.	chemical fertilizer	ratio of components
	1-	D.A.P.	18:46:0
	2-	M.O.P.	--------
	3-	S.S.P.	--------
	4-	N.P.K.	12:32:16
	5-	N.P.K.	15:15:15
	6-	N.P.K.	23:23:0
	7-	N.P.K.	14:35:14
	8-	N.P.K.	20:20:0
	9-	M.A.P.	11:52:0
	10-	N.P.K.	14:28:14
	11-	N.P.K.	17:17:17
	12-	N.P.K.	19:19:19
	13-	N.P.K.	10:26:26
	14-	M.A.P.	16:20:0
	15-	N.P.K.	28:28:0
	16-	N.P.K.S.	20:20:00:13
	17-	N.P.K.S.	16:20:00:13
	The percentage of the different components in the chemical fertilizers shall be determined according to guidelines issued by the Department of Agriculture, Uttar Pradesh, from time to time.		

उक्त प्रविष्टि को देखने से विदित होता है कि उक्त प्रविष्टि में जिप्सम को कर मुक्त रखा गया है, किन्तु सिंगल सुपर फास्फेट के केवल फास्फेटिक संघटक को कर मुक्त रखा गया है, सल्फर संघटक को नहीं। इसलिए यदि सिंगल सुपर फास्फेट नामक उर्वरक में सल्फर के रूप में जिप्सम मौजूद रहता है तो भी वह कर मुक्त नहीं है । क्योंकि उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत जिप्सम तभी कर मुक्त है जब उसे जिप्सम के रूप में बेचा जाय । यदि सिंगल सुपर फास्फेट की बिक्री की जाती है तो उसका केवल फास्फेटिक संघटक ही कर मुक्त रहेगा, अन्य संघटक कर मुक्त नहीं होंगे । अत: प्रार्थी द्वारा उठाये गये प्रथम प्रश्न का उत्तर यह दिया जाता है कि सिंगल सुपर फास्फेट के फास्फेटिक संघटक के अतिरिक्त अन्य कोई संघटक कर मुक्त नहीं हैं । जहॉं तक इस प्रश्न का सवाल है कि सिंगल सुपर फास्फेट का जिप्सम तत्व वाले हिस्से का कर योग्य मूल्य क्या होगा, तो इसका उत्तर यह है कि सिंगल सुपर फास्फेट एक रासायनिक उर्वरक है जिसका फास्फेटिक तत्व विज्ञप्ति संख्या-KA.NI.-2-356 / XI-9 (1) / 08-U.P. Act.-5-2008-Order- (41)-2009, दिनांक 11.02.2009 के अन्तर्गत कर मुक्त रहेगा । तदनुसार सिंगल सुपर फास्फेट के विक्रय मूल्य से फास्फेटिक संघटक के मूल्य को कम करते हुए शेष विक्रय धन रासायनिक उर्वरक की भॉंति कर योग्य रहेगा ।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 30 जून, 2011

ह0 30.06.2011

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।